

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2159-पीबीआर/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक 25-3-2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसील न्यायालय तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक 55/अ-12/रा.नि.म./2011-12

भोजपाल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि०
द्वारा डायरेक्टर श्री के०एल०मूलानी आ.श्री एच.टी.मूलानी
निवासी 93-94, आर.के.टॉवर,
एम.पी.नगर, जोन-1 भोपाल म०प्र०

..... आवेदक

विरुद्ध

1-श्रीमती मीनाक्षी नायर पत्नी श्री एस०पी०नायर,
निवासी ग्राम समरधा कलियासोत, तहसील हुजूर
जिला भोपाल म०प्र०

2-श्रीमती अफसाना खान पत्नी श्री अब्दुल खान
3-श्रीमती फरहान खान पत्नी श्री मो.परवेज खान
दोनों निवासी मकान नं. 40-ए विकास कॉलोनी,
बाग दिलकुशा भोपाल.

..... अनावेदकगण

.....
श्री टी०आर०गौर, अभिभाषक-आवेदक
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक-अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/5/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसील न्यायालय तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-3-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम समरधा कलियासोत विकास खण्ड फंदा तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 220/1 रकबा 1.210 हेक्टेयर के सीमांकन

[Signature]

[Signature]

हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक को भेजा गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/अ-12/रा.नि.क्रमांक 3/13-14 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर 25-3-14 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने का आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किया गया था जिसमें सीमांकनकर्ता ने स्थायी सीमाचिह्नों को आधार नहीं नहीं था अतः आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार कर प्रकरण अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 5-8-11 को इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया था कि संहिता की धारा 129 के प्रावधान का पालन करते हुये हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देकर दो माह में सीमांकन कार्यवाही संपादित करें, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में बिना आवेदक को सूचना दिये सीमांकन करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना पत्र में दिनांक 14-3-14 को सीमांकन करना दर्शाया गया है जबकि सूचना जारी करने का दिनांक 16-3-14 अंकित है । इस प्रकार सीमांकन की कार्यवाही अपने आप में विधि की मंशा के विपरीत है ।

(3) पटवारी द्वारा दिनांक 14-3-14 में की गई नप्ती तक पूर्व में दिनांक 24-4-2010 को की गई नप्ती में आवेदक के कब्जे का स्थान भिन्न भिन्न दर्शाया गया है ।

(4) आवेदक द्वारा अपनी भूमि का विधिवत् बटांकन कराकर सीमांकन कराया जाकर डायवर्सन करते हुये नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से आवासीय कालोनी बनाने की अनुमति ली गई है और तदानुसार भूखण्डों का विक्रय कर रजिस्ट्रीयों





निष्पादित कर दी गई है और जिन पर क्रेताओं द्वारा मकान बना लिये गये हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक की अनुपस्थिति में किया गया सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) आवेदक का अनावेदकगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं और बन्दोबस्त प्रक्रिया के दौरान नक्शे में त्रुटि हुई है जिसके लिये अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 105 के अन्तर्ग कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(6) सीमांकन स्थायी सीमाचिन्हों से नहीं किया गया इसलिये भी सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

(1) पूर्व में अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमियों का सीमांकन दिनांक 1-9-2010 को कराया गया था जिसे आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 5-8-11 को आदेश पारित कर सीमांकन निरस्त किया गया था । उक्त सीमांकन को आवेदक द्वारा इसलिये चुनौती नहीं दी गई कि पुनः सीमांकन होने से आवेदक को संतुष्टि मूल जायेगी । तदनुसार अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् उभयपक्ष सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है जो कि विधिसंगत है ।

(2) सीमांकन की तामीली आवेदक के कार्यालय के अभिकर्ता पर कराई गई है क्योंकि आवेदक कभी भी उपलब्ध नहीं होता है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमियों के सीमांकन की जानकारी प्रारंभ से रही है और वह जानबूझकर सीमांकन के समय उपस्थित नहीं हुआ है ।

(3) सूचना नहीं मिलने के संबंध में अन्य पड़ोसी कृषकों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है केवल आवेदक ही असत्य कथन कर रहा है कि उसके बिना जानकारी उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है ।





(4) सीमांकन की कार्यवाही स्थायी सीमाचिन्हों रास्ता तिमेड़ा चौमेड़ा को आधार मानकर की गई है जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है ।


(5) सीमांकन के संबंध में सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 1237-ए/12 प्रचलित है इसलिये इस निगरानी पर विचार करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं रह जाती है ।


(6) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सीमांकन के संबंध में स्थगन चाहा गया था जिसे निरस्त किये जाने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन विधिसंगत है ।

(7) आवेदक की ओर ऐसा कोई ठोस आधार इस न्यायालय में तर्कों में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन अवैधानिक एवं अनियमित है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रक्रिया अपनायी जाकर पड़ोसी कृषकों एवं ग्राम सरपंचों की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक को सीमांकन की सूचना अभिभाषक के माध्यम से दी गई है, इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसील न्यायालय तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-3-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर